राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 602/2023

गजेन्द्र कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रतापगढ।
4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, छोटी सादडी, प्रतापगढ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रतापगढ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक एल—2, सामाजिक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भारखेडी, छोटी सादडी, प्रतापगढ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2001 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सांगरी खेडा में नियुक्ति दी गई। इस संबंध में 28 कार्मिकों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट याचिका 16143/2019 उदयसिंह चौहान बगैराह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2019 (अनुलग्नक—2) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा याचिका संख्या 12109/2018 नंद किशोर शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 18.07.2018 निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय तीन माह में लिए जाने के निर्देश दिए गए। अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11.05.2022

(अनुलग्नक–3) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया जाकर अपीलार्थी को वेतन निर्धारण का काल्पिनिक लाभ वर्ष 1999 से दिए जाने का अनुरोध किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर काल्पिनिक वेतन का लाभ भी वर्ष 1999 से दिए जाने का अनुरोध किया है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य